कार्यालय
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
घट्टिया, जिला उज्जैन

मेन्यूअल

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के संबंध में जानकारी

बिन्दू क्रमांक 01

प्रशासनिक प्रतिवेदन

महिलाओं और बालक–बालिकाओं के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यो को सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने एवं पर्याप्त गति देने के लिये प्रदेष में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत शासन के सहयोग से एकीकृत बाल विकास परियोजनाएँ प्रारंभ की गई। उज्जैन जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना घटिया, जिला उज्जैन वर्ष 1989 में स्वीकृत की गई है। इस परियोजना से 109 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है।

01. पूरक पोषण आहार
02. टीका करण
03. स्वास्थ्य जाँच
04. सन्दर्भ सेवा
05. स्वास्थ्य एवं पोषण आहार षिक्षा
06. स्कूल पूर्व अनौपचारिक षिक्षा

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के मुख्य उद्देष्य निम्नवत है :–

01. 0–6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना ।
02. बच्चों की सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना ।
03. बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठषाला को छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
04. माताओं में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनकी आहार संबंधी आवष्यकताओं का स्वास्थ्य और पोषण षिक्षा की सहायता से ध्यान रख सकें ।
05. बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावषाली समन्वय (मेलजोल) स्थापित करना ।

इस परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष तक के हित ग्राहियों को एम.पी. एग्रो द्वारा प्रदायित पोषण आहार एवं 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार का प्रदाय । वर्तमान में सांझा चुल्हा व्यवस्था के अंतर्गत स्व–सहायता सहायता समूह द्वारा अपने–अपने ग्राम की आंगनवाड़ियों को किया जा रहा है।

परियोजना (विकास खण्ड) स्तरीय विभागीय संरचना

बाल विकास परियोजना अधिकारी

सहायक श्रेणी – एक | पर्यवेक्षक

सहायक श्रेणी – तीन

वाहन चालक

भृत्य

चौकीदार

स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों की स्थिति

अ.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
01	बाल विकास परियोजना अधिकारी	01	01	00
02	सहायक श्रेणी – एक	01	01	00
03	पर्यवेक्षक	05	05	00
04	सहायक श्रेणी – 3	01	01	00
05	वाहन चालक	01	00	01
06	भृत्य	01	01	00
07	चौकीदार	01	01	00
	योग	11	10	01

कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य / दायित्व

अ. क्र	कर्मचारी का नाम व पद	शाखा का नाम व कार्य तथा दायित्व
01	श्रीमती रीतू षिन्दे सहायक श्रेणी –एक	**<u>लेखा शाखा :</u>** केष बुक व अन्य पंजियों का संधारण, देयक तैयार करना, राषि का आहरण, मासिक व संकलित व्यय पत्रक, अंकेक्षण/ निरीक्षण, जी.पी.एफ., मानदेय, यात्रा भत्ता देयक, स्टेषनरी, भण्डार शाखा ।
02	श्री सुरेष कुमार पाठक सहायक श्रेणी–तीन	**<u>आय.सी.डी.एस. शाखा :</u>** मासिक प्रगति प्रतिवेदन, पोषण आहार, आगनवाड़ी भवन/ हेण्डपम्प, बाल संजीवनी अभियान, 11 सूत्रीय कार्यक्रम, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं आई.सी.डी.एस. शाखा के समस्त कार्य।

बिन्दू क्रमांक 02

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी

परियोजना बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर श्री गुरूदत्त पाण्डे, परियोजना अधिकारी के रूप में पदस्थ व कार्यरत है। श्री गुरूदत्त पाण्डे परियोजना अधिकारी की परिलब्धियाँ निम्नवत् है :–

वेतन बेंड	रूपये 15,660/–
ग्रेड वेतन	रूपये 3,600/–
महगाई भत्ता	रूपये 3,082/–
मकान किराया भत्ता	रूपये 194/–
	————————————
	कुल रूपये 22536/–
	————————————

बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्य दायित्व संक्षिप्त में निम्नानुसार है :–

01. परियोजना स्तर के कार्यक्रम के कार्यान्वयन व प्रषासनिक कार्यो की देखरेख करना ।
02. पर्यवेक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित पूरी परियोजना टीम का संचालन व इस उद्देष्य से क्षेत्रीय दौरे करना ।
03. परियोजना व आंगनवाड़ी केन्द्रों के रजिस्टरों व रिकार्डो का रख रखाव सुनिष्चित करना व निरीक्षण करना ।
04. पोषण आहार व अन्य सामग्री की आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति, वितरण व भण्डारण सुनिष्चित करना ।
05. समय–समय पर कार्यक्रम / योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठालय को प्रेषित करना ।
06. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रषिक्षण हेतु कार्यवाही करना ।
07. समय–समय पर क्षेत्रीय दौरे करना व मासिक दौरे का कार्यक्रम उच्चाधिकारियों को भेजना ।

बिन्दु क्रमांक – 03

कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

की जानकारी संलग्न है।

बिन्दू क्रमांक 04

समय सारिणी
(सूचना का अधिकार अधिनियम 005 की धारा 6 के अन्तर्गत)

01 आवेदन प्राप्ति का दिनांक ....

02 आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देना ।

03 संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम 3 कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अंतर्गत वर्जित नहीं है।

शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर अन्य शाखा या विभाग से संबंधित है, तब ऐसी दषा में अधिकतम दूसरे कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा।

04 लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसे अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम 3 कार्य दिवस में आवेदक को सूचना / प्रतिलिपि / सेंपल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे ।

05 लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात् आवेदन के दिनांक से अधिकतम 30 कार्य दिवसों की समयावधि में वांछित दस्तावेज / नकल / निरीक्षण / अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।

यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय / विभाग को आवेदन के दिनांक से 5 कार्य दिवस में अतिरिक्त अंतरित कर देवेंगे। साथ ही आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देवेंगे ।

बिन्दू क्रमांक 05

कार्यालय में उपलब्ध होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम / नियम / रेग्युलेशन / मेन्युअल की सूची

01. मध्य प्रदेष सिविल सेवा (अवकाष) नियम 1977 ।
02. मध्य प्रदेष सर्विस मेन्युअल भाग– 1 व 2
03. मध्य प्रदेष मूलभूत नियम भाग – 1 व 2
04. मध्य प्रदेष सामान्य भविष्य निधि नियम – 1955
05. मध्य प्रदेष यात्रा भत्ता नियम
06. मध्य प्रदेष कोषालय संहिता
07. मध्य प्रदेष वित्तीय संहिता
08. मध्य प्रदेष चिकित्सा परिचर्या नियम 1958
09. मध्य प्रदेष वेतन निर्धारण नियम
10. मध्य प्रदेष भण्डार क्रय, संधारण, संधारण एवं अपलेखन नियम ।
11. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना निर्देषिका ।

बिन्दू क्रमांक 06

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची

अ.क्र.	दस्तावेज का नाम	समाहित जानकारी
01	बिल रजिस्टर	भुगतान हेतु तैयार देयकों की प्रविष्ठि
02	कान्टीजेंसी रजिस्टर	भुगतान हेतु प्राप्त देयकों की प्रविष्ठि
03	केश बुक	आय – व्यय से संबंधित प्रविष्ठि
04	पेड व्हाउचर फाईल	भुगतानित देयकों के व्हाउचर्स
05	ट्रेझरी चेक रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त चेक्स की प्रविष्ठि
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता देयक पंजी	अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा देयकों की प्रविष्ठि।
07	यात्रा देयक पंजी	अधिकारियों / कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा भत्ता देयकों की प्रविष्ठि
08	बैंकर्स चेक पंजी	भुगतानित बैंकर्स चैक
09	अस्थायी अग्रिम पंजी	कर्मचारियों को प्रदत्त अस्थायी अग्रिम की प्रविष्ठि
10	वाहन पंजी	वाहन देयकों की प्रविष्ठि
11	अनाज अग्रिम कटोत्रा पंजी	वेतन से वसूल किष्त की प्रविष्ठि
12	त्यौहार अग्रिम कटोत्रा पंजी	वेतन से वसूल किष्त की प्रविष्ठि
13	वेतन वृद्धि पंजी	कर्मचारियों को स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि की प्रविष्ठि
14	सामान्य/विभागीय भविष्यनिधि कटोत्रा पंजी	वेतन से काटी जाने वाली जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. की राषि की प्रविष्ठि
15	वेतन पंजी	कर्मचारियों को भुगतानित वेतन की प्रविष्ठि
16	सेवा पुस्तिका	कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों का सेवा अभिलेख
17	सामान्य भविष्यनिधि पास बुक	कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों के जी.पी.एफ. कटोत्रे का लेखा/जोखा ।
18	उपस्थिति पंजी	कर्मचारियों की उपस्थिति का इन्द्राज

19	आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाष पंजी	कर्मचारियों को स्वीकृत आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाष की प्रविष्ठि
20	पोषण आहार स्टॉक पंजी	प्राप्त व वितरित पोषण आहार की प्रविष्ठि
21	स्थायी सामग्री पंजी	क्रय/प्राप्त स्थायी सामग्री व वितरण की प्रविष्ठि
22	स्टेषनरी स्टॉक पंजी	क्रय / प्राप्त व वितरित स्टेषनरी की प्रविष्ठि
23	लाड़ली लक्ष्मी योजना की पंजी	प्राप्त प्रकरण दर्ज करने की पंजी
24	आवक पंजी	कार्यालय को प्राप्त पत्रों का इंद्राज
25	जावक पंजी	कार्यालय से प्रेषित पत्रों का इंद्राज
26	सर्विस पोस्टेज स्टॉम्प पंजी	अन्य शहरों / नगरों को भेजे जाने वाले पत्रों पर व्यय पोस्टेज स्टॉम्प की प्रविष्ठि ।

बिन्दू क्रमांक – 07

परामर्षदात्री समितियों की संरचना संबंधी जानकारी

निरंक

बिन्दू क्रमांक 08

कार्यालय के अंतर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद एवं समितियों की जानकारी

निरंक

बिन्दू क्रमांक 09 एवं 10

कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पदनाम व वेतन की जानकारी

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन बैंड+ग्रेड वेतन
01	श्री गुरूदत्त पाण्डे	परियोजना अधिकारी	15660+3600
02	श्रीमती अनिता जैन	पर्यवेक्षक	13720+2800
03	श्रीमती जयश्री पाध्ये	पर्यवेक्षक	13460+2800
04	श्रीमती सुधा जैन	पर्यवेक्षक	13460+2800
05	श्रीमती शुभांगी नाईक	पर्यवेक्षक	10800+2400
06	श्रीमती कृष्णा शर्मा	पर्यवेक्षक	11630+2400
07	श्रीमती रीतु षिन्दे	सहायक ग्रेड – 1	11890+2800
08	श्री सुरेष कुमार पाठक	स्हा.ग्रेड–3	8380+1900
09	श्री दीपक भेले	चौकीदार	3500 (कलेक्टर दर पर)

बिन्दू क्रमांक 11

मदवार बजट आबंटन एवं उपयोग संबंधी जानकारी

क्र.	मद	प्राप्त आबंटन	उपयोग (व्यय)
01	वेतन – भत्ते	1758440	1055106
02	मजदूरी	10290	0
03	यात्रा भत्ता	64200	4132
04	कार्यालय व्यय	367000	34874
05	विज्ञापन एवं प्रचार	6000	0
06	किशोरी षक्ति योजना	110000	33000
07	मानदेय	3297250	2674300
08	अतिरिक्त मानदेय	981000	981000
09	सामग्री व पूर्ति	43600	0
10	मंगल दिवस	218000	218000

बिन्दू क्रमांक 12

परियोजना में संचालित योजनाओं की जानकारी

लाड़ली लक्ष्मी योजना :–

01 योजना के अनुसार मध्य प्रदेष के मूल निवासी ऐसे माता – पिता जिनकी कम संतान हो तथा जिन्होंने योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो और जो आयकरदाता न हो, कि ऐसी बालिका संतान जो आगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो एवं जिसकी आंगनवाड़ी में उपस्थिति नियमित हो ।

02 जिसका जन्म 01 जनवरी 2006 या उसके प्ष्चात हुआ हो योजना हेतु पात्र हो ।

जिस परिवार में प्रथम बालिका हो, उस बालिका को परिवार नियोजन की शर्त बगैर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिनांक 01–04–2008 को अथवा उसके पष्चात जन्मी प्रथम बालिका को दिया जावेगा किन्तु द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी।

मंगल दिवस योजना

01 **प्रथम मंगलवार गोद भराई** :–

ग्राम की सभी गर्भवती माताओं को आमंत्रित कर माह में चिन्हित गर्भवती माता की गोद भराई का आयोजन जन सहयोग से किया जाएगा । इस हेतु रूपये 50/– के व्यय का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है।

02 **द्वितीय मंगलवार अन्नप्राशन** :–

6 माह की आयु पूर्ण कर रहे बच्चों को उसकी माता एवं अभिभावकों के साथ आगनवाड़ी केन्द्र पर आमंत्रित किया जाकर बच्चे का अन्नप्राषन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस हेतु रूपये 50/– का बजट प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है।

03 **<u>तृतीय मंगलवार (जन्म दिवस)</u>** :–

आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चों में से माह में जन्में बच्चों का जन्म दिवस प्रतिमाह तीसरे मंगलवार को आगनवाड़ी केन्द्र में मनाना है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित करना है। विभाग द्वारा रूप्ये 50 के बजट का प्रावधान इस कार्य हेतु किया गया है।

04 **<u>चतुर्थ मंगलवार (किशोरी बालिका दिवस)</u>** :–

गांव की 11 से 18 वर्ष की आयु समूह की किषोरी बालिकाओं को संतुलित आहार, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल तथा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रषिक्षण दिया जाये।

<u>दत्तक पुत्री शिक्षा योजना</u>

इस योजना का उद्देष्य है कि ऐसी बालिकायें जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाती, उन्हें जनसहयोग से आर्थिक सहायता दिलाई जावे। ताकि उनकी पढ़ाई प्रारंभ हो सकें तथा जारी रखी जा सकें । इस योजना में जहां जनता में बालिका षिक्षा के महत्व को समझने की इच्छा जागृत होगी वहीं ऐसे व्यक्ति जो इस पुनित कार्य में योगदान देना चाहते है को भी एक योग्य माध्यम प्राप्त हो सकेगा। जन सहयोग से चलायी जाने वाली इस योजना से शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आता । किन्तु प्रोत्साहन के लिये पुरस्कार आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है।

<u>ग्राम्या योजना</u>

प्रदेष के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक/दैनिक हाट/बाजार में अधिकांष ग्रामीण क्षेत्र की महिलाऐं सब्जी, फल, चूड़िया आदि बेचती है । कार्यषील पूंजी के अभाव में इन्हें अपना व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने तथा व्यवसाय को बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसी महिलाओं को कार्यषील पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेष महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा ग्राम्या योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को कार्यषील पूंजी रूप्ये 500/– बिना ब्याज के दी

जाती है जिसकी वसूली रूप्ये 10/– प्रति हाट / बाजार के मान से की जाती है। प्रथम राषि की वसूली पूर्ण होने पर रूपये 1500/– का ऋण संबंधित महिला को प्रदान किया जाता है।

महिला जागृति शिविर

महिलाओं को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने तथा साथ ही उन्हें सामाजिक कुरीतियों व महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारियां देने के उद्देष्य से महिला जागृति षिविरों का आयोजन किया जाता है। दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि सामाजिक बुराईयों को दूर करने हेतु शासन द्वारा बनाये गये कानूनों की जानकारी जन सामान्य को देने हेतु प्रदर्षनी, कठपुतली एवं लोकगीत का आयोजन भी इन जागृति षिविरों में किया जाता है ताकि इन सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध वातावरण तैयार कर जनजागृति लाई जा सकें ।

स्व–सहायता समूह

महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कुछ महिलाओं का एक समूह गठित किया जाता है। समूह की महिलाओं में बचत की आदत डालने तथा आपस में आवष्यकता एवं रूचि के अनुसार स्व–रोजगार एवं परम्परागत/गैर परम्परागत व्यवसाय (जैसे भैंस पालन, बकरी पालन, दोना–पत्तल निर्माण, किराना दुकान, खाद–बीज विक्रय आदि) करने हेतु प्रषिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि महिलाएँ आर्थिक रूप से सषक्त हो सके, इस हेतु समूह को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।

किशोरी शक्ति योजना

इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र ग्राम से 11 से 18 वर्ष आयु समूह की 2 किषोरी बालीकाओं को स्वास्थ की देखभाल, संतुलित भोजन व आर्थिक स्वालम्बन हेतु 2 दिवसीय प्रषिक्षण विकास खण्ड स्तर पर दिया जाता है। इस प्रषिक्षण में पर्यवेक्षक एएनम व आंगनवाडी कार्यकर्ता को भी सम्मिलित किया जाता है। किषोरी स्वास्थ और संतुलित आहार महिला स्व–सहायता समूह एवं आर्थिक स्वालम्बन योजनाएं, बाल विवाह

के दुषपरिणाम, जनसंख्या स्थितिकरण, किषोरावस्था की स्वास्थ समस्याएं व उपचार आदि विषयों पर प्रषिक्षण मास्टर ट्रेनर्स व्दारा उक्त प्रषिक्षण में दिया जाता है।

योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत की 18 किषोर बालिकाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रषिक्षण विकास खण्ड स्तरीय प्रषिक्षण षिविर में प्रषिक्षित मास्टर ट्रेनर्स व्दारा दिया जाता है। इस प्रषिक्षण के दौरान एएनएम व्दारा किषोरी बालिकाओं का स्वास्थ परिक्षण कर आयरन फालिक एसीड टेबलेट तथा आवष्यक होने पर डिवार्मिंग टेबलेट भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम दृष्टया कोई किषोरी बालिका गंभीर बीमारी से पिड़ित पाई जाने पर उसे प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रो को सेफर किया जाता है। यह प्रषिक्षण विकास खण्ड स्तरीय प्रषिक्षण के उपरांत एक एक माह के अन्तराल पर दिये जाते है।

बिन्दु क्रमांक–13

वास्तविक हितग्राहियों की संख्या

अ. क्र.	योजना / मद	हितग्राही	
		आंगनवाड़ी में दर्ज	पोषण आहार से लाभान्वित
1	2	3	4
01.	गर्भवती माता	1009	632
02.	धात्री माता	1044	656
03.	6 माह से 3 वर्ष के बच्चे बालक बालिका	 2627 2635	 1812 1816
04.	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे बालक बालिका	 2244 2238	 1700 1969

अ. क्र.	योजना / मद	हितग्राही
01.	दत्तक पुत्री षिक्षा योजना	152 बालिकाएँ
02.	महिला जागृति षिविर – संख्या – व्यय	2 षिविर 5000
03.	स्व–सहायता समूह – गठित समूह – आर्थिक गतिविधि – एसजीएसवाय – बैंक लिंकेज	134 2 11 22
04.	लाड़ली लक्ष्मी योजना	424 बालिकाएँ लाभान्वित
05.	मंगल दिवस – गोद भराई – अन्न प्राषन – जन्म दिवस – किषोरी बालिका	1255 महिलाएँ लाभान्वित 1335 बच्चे लाभान्वित 1880 बच्चे लाभान्वित 2347 बालिकाएँ लाभान्वित

06.	उषा किरण योजना (घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण)	2 महिलाएँ
07.	किशोरी बालिका योजना – खण्ड स्तरीय – पंचायत स्तरीय	218 बालिकाएँ 1242 बालिकाएँ

बिन्दु क्रमांक–14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारीयों की सूची

अ.क्र.	योजना / जानकारी का नाम
1.	मासिक व संकलित व्यय पत्रक
2.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन कम्प्युटराईज्ड
3.	स्व–सहायता समूहों की जानकारी
4.	पौषण आहार की जानकारी
5.	किषोर शक्ति योजना की जानकारी
6.	कुपोषण संबंधी जानकारी
7.	आयसीडीएस सेवाओं संबंधी जानकारी
8.	ग्राम्या योजना की जानकारी
9.	दत्तक पुत्री षिक्षा योजना की जानकारी
10.	महिला जागृति षिविर की जानकारी
11.	परियोजना में जन्म–मृत्यु की जानकारी
12.	11 सूत्रीय कार्यक्रमो की जानकारी
13.	लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी
14.	लाडली लक्ष्मी योजना की जानकारी
15.	उषा किरण योजना की जानकारी
16.	मंगल दिवस की जानकारी

बिन्दु क्रमांक 15

<u>आम नागरिको को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधा</u>

सुविधा	सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारी का नाम व पद	सूचना प्राप्ति का समय	कार्यालय का दूरभाष क्रमांक
मौखिक या आवेदन करने पर लिखित में	श्री गुरूदत्त पाण्डे परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना घट्टिया जिला उज्जैन (लोक सूचना अधिकारी) श्रीमती रीतू षिन्दे सहायक श्रेणी 1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना घट्टिया जिला उज्जैन (सहायक लोक सूचना अधिकारी)	अपराध 2.00 से सांय 5.30 बजे तक प्रातः 10.30 से सांय 5.30 तक	07368–265067

बिन्दु क्रमांक 16

<u>लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी</u>

स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलिय अधिकारी
विकासखण्ड / परियोजना	परियाजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवायोजना घट्टिया जिला उज्जैन	सहायक श्रेणी 1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना घट्टिया जिला उज्जैन	कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन

बिन्दु क्रमांक 17

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरीक से हो

स्तर	व्यवस्था
विकास खण्ड / परियोजना	प्रति बुधवार को जनसुनवाई व्यवस्था है जिसमें अभी तक कोई प्रकरण प्राप्त नही हुआ है।